

सं.विपणन-नीलाम/समय सारणी/01/2018
16.02.2022

दिनांक:

परिपत्र

विषय : पुट्टड़ी और बोडिनायकन्नूर के ई-नीलामी केन्द्रों में 21-02-2022 से 02-03-2022 तक केलिए ई-नीलामी चलाने की संशोधित समय सारणी

स्थानीय प्रशासनिक निकायों की चुनाव के संबंध में 19.02.2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा अवकाश घोषणा करने को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है कि 19.02.2022 नीलामी के लिए अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, पुट्टड़ी और बोडिनायकन्नूर के ई-नीलामी केन्द्रों में ई-नीलामी चलाने के लिए 21.02.2022 से 02.03.2022 तक की अवधि के लिए लाइसेंस प्राप्त नीलामकर्ता द्वारा पालन की जाने वाली संशोधित समय सारणी इडुक्की और तेनी के जिलाधीश द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया की प्रति एवं दिशा-निर्देश इसके साथ अनुलग्न-1 के रूप में संलग्न है।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अधीन समय-सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है।

सभी नीलामीकर्ता पुट्टड़ी और बोडिनायकन्नूर में ई-नीलामी आयोजित करने के लिए अनुबंध-2 के रूप में संलग्न सामान्य अनुदेशों और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

सभी नीलामकर्ताओं को, पुट्टड़ी और बोडिनायकन्नूर में इ-नीलाम चलाने केलिए कोविड-19 के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कोविड प्रोटोकॉल मानकों तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों (अनुबंध-3 के रूप में संलग्न) का सख्ती से पालन करने का निदेश दिया जाता है।

निदेशक(विपणन)

सेवा में

- 1.मैसर्स साउथ इंडियन ग्रीन इलायची कंपनी लिमिटेड।
- 2.मैसर्स ग्रीन इलायची ट्रेडिंग कंपनी।
- 3.मैसर्स द इलायची प्लांटर्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
- 4.मैसर्स इलायची प्लांटर्स एसोसिएशन।
- 5.मैसर्स हैडर सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड।
- 6.मैसर्स ग्रीन हाउस इलायची मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
- 7.मैसर्स द केरला इलायची प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड।
- 8.मैसर्स इलायची ग्रोअर्स फॉरएवर प्राइवेट लिमिटेड।
- 9.मैसर्स एमएएस इंटरप्राइजेज लिमिटेड।
- 10.मैसर्स स्पाइस मोर ट्रेडिंग कंपनी।
- 11.मैसर्स इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल इलायची प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड।
- 12.मैसर्स सुगंधगिरी स्पाइसेस प्रमोटर्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड।

प्रतिलिपि :

जिलाधीश, इडुक्की/तेनी।

उप निदेशक, बोडिनायकन्नूर/पुट्टुड़ी।

उप निदेशक (ईडीपी) - बोर्ड के वेबसाइट में परिपत्र होस्ट करने हेतु

अनुलग्न-1

पुडुड़ी और बोडिनायकन्नूर के ई-नीलामी केन्द्रों में 21-02-2022 से 02-03-2022 तक की अवधि के लिए ई-नीलामी चलाने की संशोधित समय सारणी

तारीख	दिवस	ई-नीलामी केंद्र स्थान	समय	ई-नीलामी आयोजित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नीलामकर्ता का नाम
21.02.2022	Monday	Bodinayakanur	9.30 am to 1.30 pm	M/s The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited.
			2.15 pm to 6.15 pm	M/s Cardamom Growers Forever Pvt Ltd.
22.02.2022	Tuesday	Puttady	9.30 am to 1.30 pm	M/s MAS Enterprises Limited.
			2.15 pm to 6.15 pm	M/s Spice More Trading Company.
23.02.2022	Wednesday	Bodinayakanur	9.30 am to 1.30 pm	M/s Idukki District Traditional Cardamom Producer Company Limited.
			2.15 pm to 6.15 pm	M/s Sugandhagiri Spices Promoters & Traders Private Limited.
24.02.2022	Thursday	Bodinayakanur	9.30 am to 1.30 pm	M/s Green Cardamom Trading Company.
			2.15 pm to 6.15 pm	M/s South Indian Green Cardamom Company Limited.
25.02.2022	Friday	Puttady	9.30 am to 1.30 pm	M/s Cardamom Planters Association.
			2.15 pm to 6.15 pm	M/s The Cardamom Planters Marketing Co-operative Society Limited.
26.02.2022	Saturday	Bodinayakanur	9.30 am to 1.30 pm	M/s Green House Cardamom Marketing India Private Limited.
			2.15 pm to 6.15 pm	M/s Header Systems (India) Limited.
28.02.2022	Monday	Puttady	9.30 am to 1.30 pm	M/s Cardamom Growers Forever Pvt Ltd.
			2.15 pm to 6.15 pm	M/s The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited.
01.03.2022	Tuesday	Bodinayakanur	9.30 am to 1.30 pm	M/s Spice More Trading Company.
			2.15 pm to 6.15 pm	M/s MAS Enterprises Limited.
02.03.2022	Wednesday	Puttady	9.30 am to 1.30 pm	M/s Sugandhagiri Spices Promoters & Traders Private Limited.
			2.15 pm to 6.15 pm	M/s Idukki District Traditional Cardamom Producer Company Limited.

(* भोजन अवकाश दोपहर 1.30 से 2.15 तक)

निदेशक (विपणन)

सामान्य अनुदेश

1. ई-नीलामी प्रतिदिन दो नीलामी आयोजित की जाएगी। प्रथम नीलामी प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक तथा मध्याह्न भोजनावकाश (दोपहर 1.30 बजे से 2.15 बजे तक) के बाद, द्वितीय नीलामी दोपहर 2.15 बजे से सायं 6.15 बजे तक की जानी चाहिए।
2. सुरक्षित सामाजिक दूरी मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए, सीटें वैकल्पिक टर्मिनलों और विपरीत दिशाओं तक सीमित होगी। इसके लिए पुट्टी और बोडिनायकन्नूर के ई-नीलामी केन्द्रों की नीलामी में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम 50-50 टर्मिनलों का उपयोग किया जाना है।
3. नीलामीकर्ताओं द्वारा स्थापित पूलिंग केंद्रों में किसानों द्वारा लाई गई इलायची की पूलिंग को प्राथमिकता दी जाए।

दिशा-निर्देश

पूलिंग और नीलामी केंद्रों में हितधारकों द्वारा कड़ाई से पालन करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

1. प्रतिभागियों के प्रवेश की अनुमति केवल वैध आरटीपीसीआर नेगटिव या कोविड 19 टीकाकरण प्रमाणपत्र की दूसरी खुराक प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। नीलामीकर्ता को पुट्टी नीलामी हॉल में प्रतिभागियों को अनुमति देने के लिए मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा।
2. प्रतिभागियों को सख्त कोविड प्रोटोकॉल मानदंडों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
3. ई-नीलामी के नीलामीकर्ता और प्रतिभागी जिला प्रशासन और जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
4. नीलामकर्ता प्रतिभागियों को थर्मल स्कैनर का उपयोग करके स्क्रीन करेगा और लक्षण दिखाने वालों को नीलामी स्थल में प्रवेश करने से रोकेगा।
5. नीलामीकर्ता पूलिंग सेंटर/भंडारण क्षेत्रों/ई-नीलामी केंद्रों में किसान बोलीदाताओं, श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त हाथ धोने की सुविधा, मास्क, सैनिटाइज़र उपलब्ध कराएंगे।
6. नीलामकर्ता पूलिंग सेंटर/भंडारण क्षेत्रों/ई-नीलामी केंद्रों में अपनाए जाने वाले वाशिंग प्रोटोकॉल से संबंधित नोटिस प्रदर्शित करेगा।
7. इलायची के बोरे/बारदानों का वजन ऐसा होना चाहिए कि कार्यकर्ता बिना किसी अन्य कार्यकर्ता के सहयोग के गोदाम के अंदर स्वतंत्र रूप से संभाल कर रख सकें/ले जा सकें, ताकि सहकर्मियों के संपर्क से बचा जा सके।
8. नीलामीकर्ता आपकी स्वच्छता और स्वच्छता स्प्रे, अवधि मोड आदि सुनिश्चित करने के लिए भंडारण क्षेत्र / पूलिंग केंद्र के आसपास कीटाणुनाशक का छिड़काव करेगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कीटाणुनाशक इलायची के संपर्क में न आए।
9. सभी परिवहन वाहनों, बोरियों या अन्य पैकेजिंग सामग्री को सैनिटाइज किया जाएगा।

10. इलायची तथा पूलिंग केन्द्रों/नीलामी केन्द्रों की लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय किये जायेंगे।
11. नीलामीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि इलायची पूलिंग / संग्रह केंद्रों भीड़ से बचा जाए। भीड़ से बचने के लिए टोकन सिस्टम जैसे उचित उपाय अपनाए जा सकते हैं।
12. नीलामी हॉल और परिसर में भी नीलामी के दौरान प्रवेश केवल वास्तविक दिन के नीलामीकर्ताओं और केवल सीमित संख्या तक ही सीमित होगा। अर्थात पुट्टी और बोडिनायकन्नूर में नीलामी हॉल में 50 खरीदारों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
13. नीलामीकर्ता पूलिंग सेंटर/भंडारण क्षेत्र/नीलामी केंद्र में न्यूनतम स्टाफ सदस्यों को नियुक्त करेगा।
14. स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूलिंग/नीलामी केंद्र की सफाई दैनिक आधार पर की जाएगी।
15. श्रमिक, किसान, व्यापारी, नीलामीकर्ताओं के कर्मचारी किसी भी समय पूलिंग केंद्रों/नीलामी केंद्रों में सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
16. नीलामीकर्ता आपात स्थिति के दौरान उपयोग के लिए पूलिंग/नीलामी केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों/एम्बुलेंस/अग्नि व बचाव आदि के फोन नंबर प्रदर्शित करेगा।

निदेशक (विपणन)